संख्या:86/2020/2204जेएल/22-3-2020-100(94)/2019

प्रेषक,

सुरेश कुमार पाण्डेय,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 *लखनऊ: दिनांक: 26 नवम्बर 2020*

विषय: जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध 03 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर अन्य कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-28204/सामा-1(8)/बन्दी स्था0/2020, दिनांक 11-11-2020 में की गयी संस्तुति के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-128 सपठित-409ए में निहित प्राविधानों के अनुसार जिला कारागार सिद्धार्थनगर में निरूद्ध निम्नलिखित 03 सिद्धदोष/विचाराधीन बंदियों को प्रशासनिक आधार पर उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम-4 की कारागारों में स्थानान्तरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र0सं0	विचाराधीन बंदी का नाम व पिता का नाम	निरूद्धि की वर्तमान कारागार	कारागार का नाम जहॉ स्थानान्तरित किया जाता है ।
1	2	3	4
1	सि0/वि0बंदी रामू उर्फ संजय श्रीवास्त्व पुत्र श्री ज्वाला प्रसाद	जिला कारागार सिद्धार्थनगर	जिला कारागार बरेली
2	घनश्याम गुप्ता पुत्र श्री गुल्लू गुप्ता	जिला कारागार सिद्धार्थनगर	जिला कारागार बुलन्दशहर
3	अंकित पाण्डेय पुत्र श्री सुरसरि पाण्डेय	जिला कारागार सिद्धार्थनगर	जिला कारागार फिरोजाबाद

2- कृपया उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्याशासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
सुरेश कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव।

संख्या:86/2020/2204जेएल(1)/22-3-2020-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उ0प्र0, लखनऊ।
3. जिला मजिस्ट्रेट, सिद्धार्थनगर/बरेली/बुलन्दशहर/फिरोजाबाद।
4. पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सिद्धार्थनगर/बरेली/बुलन्दशहर/फिरोजाबाद।
5. अधीक्षक, जिला कारागार सिद्धार्थनगर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रश्नगत बंदियों को जिला कारागार सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित कारागारों में स्थानान्तरित/दाखिल किए जाने की सूचना रेडियोग्राम के माध्यम से उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायें।
6. अधीक्षक, जिला कारागार बरेली/बुलन्दशहर/फिरोजाबाद।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in